

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अधिसूचना

कमॉक 7794 /चेकर
तीन-6-7 / 2000

बिलासपुर, दिनांक **27.07.2019**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम कमॉक -2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना कमॉक 3698 तीन-6-7 / 2000 दिनांक 12-04-2018 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री पंकज आलोक तिकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना कमांक डी-2262 / 21-ब / छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम कमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है ।


न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा ।

No. 7794 /Checker
III-6-7/2000

Bilaspur, dated the **27-07-2019**

In exercise of the powers Conferred by sub-Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 3698/III-6-7/2000, dated 12-04-2018 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Pankaj Alok Tirkey, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

BY ORDER OF THE HIGH COURT

27.07.2019
(Deepak Kumar Tiwari)
I/c Registrar General